उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–3
संख्या–2726/9–3–14–129सी/09
लखनऊः दिनांकः 17 जुलाई, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा–3(3) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 जल निगम की विधिक प्रास्थिति स्थानीय प्राधिकारी की होने के दृष्टिगत, श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 जल निगम को सार्वजनिक उद्यम विभाग/ब्यूरो की परिधि/नियन्त्रण से पृथक किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या एवं दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–8 ।
9. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2 ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।